



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062022-236913
CG-DL-E-30062022-236913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2818]
No. 2818]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ़ 9, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
शुद्धिपत्र
नई दिल्ली, 30 जून, 2022
(आयकर)

का.आ. 2961(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) दिनांक 28 जून, 2022 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का.आ. 2926(अ) दिनांक 28 जून, 2022, की अधिसूचना में, सारणी-II में-

- (i) स्तंभ 4 में मद (v) में "मुम्बई-2" के लिए "मुम्बई-4" पढ़ें।
- (ii) स्तंभ 4 में मद (vii) में "मुम्बई-4" के लिए "मुम्बई-2" पढ़ें।

[अधिसूचना संख्या 76 /2022/फा. सं. 187/3/2020-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवसर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 70/2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 2915 (अ) दिनांक 13 नवंबर, 2014 के तहत प्रकाशित हुई थी जो शुद्धि पत्र का.आ. 2922(अ) दिनांक 15 नवंबर 2014 तथा शुद्धि पत्र का.आ.2944(अ) दिनांक 20 नवंबर, 2014 के साथ पठित तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2021 का.आ. 1160(अ) दिनांक 11 मार्च 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1160(अ) के तहत दिनांक 11 मार्च 2021 को प्रकाशित हुई है।